

Title: Need to hand over the control of Shahpur Kandi Dam Project in Punjab to Bhakra Beas Management Board.

डॉ. किर्योड़ी लाल मीणा (दौसा): माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, हरियाणा एवं महामहिम राज्यपाल महोदय पंजाब के मध्य दिनांक 15.5.1984 को रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन एवं आनन्दपुर साहिब हाईडल परियोजना शुरू करने के बारे में एक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध का पार्ट द्वितीय नांगल रिजर्वायर से आनन्दपुर साहिब हाईडल परियोजना हाईडल चैनल के संबंध में है। जिसका सब वलाज निम्नानुसार है—

"आनन्दपुर साहिब हाईडल परियोजना मुकेरियान हाईडल परियोजना, थीम बांध परियोजना, अपर बारी दोआब चैनल स्टेज—द्वितीय एवं साहपुरकांडी हाईडल परियोजना से हरियाणा एवं राजस्थान राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन में हिस्सा मांगने के संदर्भ में यह स्वीकार किया गया कि भारत सरकार इस प्रकरण को उत्तम न्यायालय में राय हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उत्तम न्यायालय से प्राप्त राय सभी राज्य जिनके मध्य अनुबंध हुआ है, को प्रेषित की जायेगी जो कि उन्हें मान्य होगी।"

सब पैरा (अ) एवं (ब) उत्तम न्यायालय में भेजे जाने वाले टीओआर के संबंध में हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि भारत सरकार इस प्रकरण को उत्तम न्यायालय में राय हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उत्तम न्यायालय द्वारा प्राप्त राय सभी राज्यों जिनके मध्य अनुबंध हुआ है, को मान्य होगी।

पंजाब सिंवाई व विद्युत हेतु रावी नदी पर शाहपुर कान्डी बैराज का निर्माण करना चाहता है। 1981 के अनुबंध के तहत इस प्रोजेक्ट में जो भी पानी आयेगा, वो सहभागी राज्यों के मध्य बंटवारे योग्य है। राजस्थान का यह अनुभव रहा है कि पंजाब बीबीएमबी द्वारा आवंटित जल रावी नदी पर निर्मित रणजीत सागर बांध से नहीं छोड़ता है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने शाहपुर कान्डी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। राष्ट्रीय परियोजना होने के कारण राजस्थान का यह मत है कि इसका कंट्रोल बीबीएमबी के पास होना चाहिए।

राजस्थान राज्य ने सचिव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को पत्रांक दिनांक 22.12.09 द्वारा इस संदर्भ में आज की स्थिति से अवगत कराने हेतु आग्रह किया है। लेकिन इस संबंध में कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान ने पत्र दिनांक 20.8.10 द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार से निवेदन किया है कि शाहपुर कान्डी परियोजना का कंट्रोल बीबीएमबी के पास होना चाहिए तथा 1984 के अधिनियम के तहत विद्युत बंटवारे के संबंध में प्रकरण माननीय उत्तम न्यायालय को प्रस्तुत करें।
